



2026:AHC: 128554

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21147/2026**

आरिफ

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

---

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: हिमांशु मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या- 70**

**माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना- मांगोरा, जिला- मथुरा में मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2026, उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि, गैंग चार्ट के अनुसार, आवेदक को केवल 3 आपराधिक वादों में शामिल दिखाया गया है और उक्त वादों में, उसे संबंधित न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र के प्रस्तर संख्या 7 में स्पष्ट किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस की प्रतिद्वंद्विता के कारण आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। सह-अभियुक्त भिक्की को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 20751 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दिया जा चुका है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य नहीं है। वह 06.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
6. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **आरिफ** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/ न ही धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब विचारण न्यायालय में गवाह उपस्थित हों।

(v) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित होकर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

**22 जून, 2026**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जी.एस.एस.

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

Translated Version. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”